[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्वविभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 89/2020- केन्द्रीयकर

नई दिल्ली, तारीख 29 नवंबर, 2020

सा. का. नि.....(अ).- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 के 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, सरकार , अधिसूचना स. 14/ 2020 - केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (i) की सा. का. नि 197(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 के प्रावधानों का 1 दिसंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के बीच की अवधि में अनुपालन नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत देय दंड की राशि को माफ करती है, यह इस शर्त के अधीन है कि उक्त व्यक्ति 1 अप्रैल, 2021 से उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/16/38/2020- जीएसटी]

(प्रमोदकुमार)
निदेशक, भारत सरकार